न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, अम्बेडकरनगर

उपस्थितः- प्रियंका सिंह, "उ०प्र० न्यायिक सेवा"

फौजदारी वाद संख्या- 10502/2023, **सी०नं०-** 1200562/2018

सी०एन०आर०नं०- UPAN040018102018

सरकार ---------- **अभियोजक**

बनाम

अंकित यादव पुत्र स्व० शिवबंश यादव

निवासी ग्राम-सैरपुर उमरन, थाना-मालीपुर, जनपद-अम्बेडकरनगर।

---------- **अभियुक्त**

मु०अ०सं०-14/2017
धारा-354 भा०दं०सं०
थाना-मालीपुर,
जिला-अम्बेडकरनगर।

निर्णय

अभियुक्त अंकित यादव का विचारण धारा-354 भा०दं०सं० के तहत पुलिस थाना-मालीपुर, जनपद-अम्बेडकरनगर द्वारा प्रस्तुत आरोप-पत्र के आधार पर किया गया।

2. अभियोजन कथानक संक्षेप में इस प्रकार है कि प्रार्थिनी/वादिनी मुकदमा विभा उपाध्याय पुत्री अवधेश कुमार उपाध्याय निवासी ग्राम-सैरपुर उमरन, थाना-मालीपुर, जनपद-अम्बेडकरनगर द्वारा दिनांक 01.02.2017 को थानाध्यक्ष-मालीपुर, जनपद-अम्बेडकरनगर को इस आशय की लिखित तहरीर दिया गया कि, "प्रार्थिनी दोपहर समय लगभग 02:00 बजे शौच के लिए घर से 100 मीटर की दूरी पर गयी थी कि उसी समय अंकित यादव पुत्र स्व० शिव बंश यादव निवासी ग्राम-सैरपुर उमरन, थाना-मालीपुर, जनपद-अम्बेडकरनगर आ गया और प्रार्थिनी को जबरदस्ती झाड़ी की तरफ खींच कर ले जाने लगा। प्रार्थिनी किसी प्रकार जान बचाकर चिल्लाते हुए घर की तरफ भागी। किसी प्रकार इज्जत बच गयी लेकिन सदमें से घबराई हुयी है। प्रार्थिनी के पितामह श्री राम आसरे उपाध्याय श्रीमान् जी के यहाँ थाने पर रिपोर्ट लिखवाना चाहते हैं। अतः याचना की गयी कि रिपोर्ट दर्ज उचित कार्यवाही करने की कृपा करें।"

3. उपरोक्त आशय की लिखित तहरीर के आधार पर थाना स्थानीय की

पुलिस द्वारा प्रकरण को मु०अ०सं०-14/2017 अन्तर्गत धारा-354 भा०दं०सं०, थाना-मालीपुर, जनपद-अम्बेडकरनगर के रूप में पंजीकृत किया गया। न्यायालय के आदेश से संबंधित विवेचक द्वारा प्रकरण में विवेचना प्रारम्भ की गयी। विवेचक ने मामले की विवेचना किया। दौरान विवेचना घटना स्थल का निरीक्षण किया तथा घटना स्थल का नक्शा नजरी तैयार किया। विवेचक ने गवाहान के बयान लिए तथा आवश्यक विवेचनोपरांत अभियुक्त अंकित यादव के विरूद्ध मु०अ०सं०-14/2017 अन्तर्गत धारा-354 भा०दं०सं० का मामला पाते हुए आरोप-पत्र न्यायालय में प्रेषित किया।

4. अभियुक्त न्यायालय में उपस्थित आया और जमानत पर रिहा हुआ। अभियुक्त को अभियोजन प्रपत्रों की नकलें दी गई।

5. अभियुक्त के विरूद्ध न्यायालय द्वारा आरोप दिनांक 26.09.2023 को विरचित किया गया। जिसमें अभियुक्त द्वारा आरोप से इन्कार किया तथा विचारण की मांग की।

6. अभियोजन पक्ष की ओर से अभियोजन कथानक के समर्थन में पी०डब्लू० 1 वादिनी मुकदमा विभा उपाध्याय व पी०डब्लू० 2 किरन को न्यायालय के समक्ष परीक्षित कराया गया है। बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता ने अभियोजन प्रपत्रों की औपचारिक सत्यता को स्वीकार कर लिया है तथा अभियोजन को उसके प्रपत्रों को साबित करने से छूट दे दी है। अभियोजन के प्रार्थना पत्र पर अन्य साक्षीगण को साक्ष्य से उन्मोचित किया गया। अभियोजन के साक्ष्य का अवसर समाप्त किया गया।

7. अभियुक्त का बयान अन्तर्गत धारा-313 दं०प्र०सं० दिनांक 02.11.2023 को अंकित किया गया। अभियुक्त ने अभियोजन कथानक से इन्कार किया तथा मुकदमा रंजिशन चलना कहा एवं सफाई साक्ष्य देने से इन्कार किया।

8. अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता व विद्वान अभियोजन अधिकारी की बहस को सुना तथा पत्रावली का सम्यक् परिशीलन किया।

9. अभियोजन अधिकारी द्वारा तर्क प्रस्तुत किया गया कि अभियोजन साक्षी के साक्ष्य से अभियुक्त के विरूद्ध आरोपित आरोप पूर्णतया साबित होता है। अतएव तदनुसार अभियुक्त को दण्डित किया जाए।

10. बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता का कहना है कि प्रस्तुत मामले में अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्षीगण ने घटना का समर्थन नहीं किया है। अभियोजन साक्षी की मुख्य परीक्षा तथा जिरह में अत्यधिक विरोधाभास है, जो विश्वसनीय नहीं है। अभियुक्त निर्दोष हैं। अतएव अभियुक्त को दोषमुक्त किया जाए।

11. प्रस्तुत प्रकरण में विचारणीय प्रश्न यह है कि क्या अभियुक्त द्वारा दिनांक 01.02.2017 को समय 02:00 बजे दोपहर बहद स्थान ग्राम-सैरपुर उमरन, थाना-मालीपुर, जनपद-अम्बेडकरनगर में वादिनी मुकदमा की लज्जा भंग करने के आशय से उस पर हमला किया? अभियोजन पक्ष की ओर से अभियोजन

कथानक के समर्थन में लिखित तहरीर, प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रति, आरोप-पत्र व नक्शा नजरी घटना स्थल आदि प्रस्तुत किया गया, जिसकी औपचारिक सत्यता को अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता द्वारा स्वीकार किया गया।

12. अभियुक्त के विरूद्ध धारा-354 भा०दं०सं० का आरोप लगाया गया है। अब विचारणीय प्रश्न यह है कि क्या अभियोजन पक्ष अभियुक्त के विरूद्ध आरोपित आरोप अन्तर्गत धारा-354 भा०दं०सं० को संदेह से परे युक्ति युक्त साबित करने में सफल रहा है।

13. पत्रावली पर उपलब्ध साक्षीगण के बयान का सम्यक परिशीलन किया।

14. अभियोजन साक्षी पी०डब्लू० 1 विभा उपाध्याय वादिनी मुकदमा ने अपनी मुख्य परीक्षा में सशपथ बयान किया है कि, "दिनांक 01.02.2017 को दिन में लगभग दो बजे मैं शौच के लिए गयी थी, तभी अंकित नाम के लड़के ने मेरे साथ बदतमीजी की थी। जिसकी सूचना मैंने घर आकर अपने पिता को दिया था। मैंने पड़ोस के किसी व्यक्ति से तहरीर लिखवाकर अपने दादा राम आसरे उपाध्याय के साथ थाने जाकर मुकदमा लिखवाया था। शामिल पत्रावली तहरीर पर पर गवाह ने अपने हस्ताक्षर की पहचान किया। जिस पर **प्रदर्श-क-1** डाला गया। विवेचक ने मजिस्ट्रेट के समक्ष मेरा बयान कराया था। समक्ष न्यायालय बयान अन्तर्गत धारा-164 दं०प्र०सं० का लिफाफा खोला गया, जिस पर साक्षी ने अपने फोटो व हस्ताक्षर की पहचान किया, जिस पर **प्रदर्श-क-2** डाला गया। घटना के समय मेरी उम्र करीब 19 वर्ष थी। मजिस्ट्रेट को दिये गये बयान में मैंने अपनी उम्र 05.07.1998 बतायी थी। अभियुक्त अंकित यादव को मैं पहले से नहीं पहचानती थी। गाँव के लोगों ने उसका नाम बताया था। साक्षी को इस स्तर पर पक्षद्रोही घोषित किया गया।"

15. उक्त साक्षी द्वारा अभियोजन की ओर से जिरह करने पर कथन किया गया कि, "दरोगा जी ने इस घटना के संबंध में मेरा बयान नहीं लिया था। गवाह को धारा-161 दं०प्र०सं० का बयान पढ़कर सुनाया गया तो उसने कहा कि मैंने दरोगा जी को ऐसा कोई बयान नहीं दिया था। उन्होंने यह बयान कैसे लिख लिया, मैं नहीं बता सकती। मैंने मजिस्ट्रेट महोदय को अपनी जन्मतिथि 05.07.1998 बतायी थी। यदि उन्होंने मेरे बयान में जन्मतिथि 05.07.2003 लिख दिया हो तो मैं इसकी कोई वजह नहीं बता सकती। उस समय मैं घबरायी हुयी थी। इसलिए बयान पर हस्ताक्षर करने से पहले उसे पढ़ा नहीं था। हो सकता है कि बयन देते समय मेरे मुख से जन्मतिथि गलत निकल गयी हो। मैं अभियुक्त अंकित यादव को पहले से नहीं जानती थी। घटना से पहले मैंने अभियुक्त को कभी नहीं देखा था। अभियुक्त का नाम मुझे किसने बताया था, मुझे याद नहीं है। यह कहना गलत है कि मैं अभियुक्त के भय व दबाव के कारण सही बयान नहीं दे रही हूँ।"

16. उक्त साक्षी द्वारा बचाव पक्ष की ओर से जिरह करने पर कथन किया गया कि, "हाजिर अदालत अभियुक्त अंकित यादव को देखकर गवाह ने कहा कि इस व्यक्ति ने मेरे साथ कोई घटना कारित नहीं किया था। लोगों के बताने में आकर मैंने जो नाम बताया था, वह यह व्यक्ति नहीं है।"

17. अभियोजन साक्षी पी०डब्लू० 2 किरन ने अपनी मुख्य परीक्षा में सशपथ बयान किया है कि, "विभा उपाध्याय मेरी पुत्री है। जिसकी उम्र वर्तमान समय में लगभग 25 साल है। दिनांक 01.02.2017 को मैं घर पर नहीं थी। मैं शाम को उस दिन घर वापस आयी थी। मेरी लड़की विभा ने किसी घटना के बारे में मुझसे कुछ नहीं बताया था। कुछ लोगों के कहने में आकर मेरे ससुर राम आसरे उपाध्याय ने मेरी लड़की विभा को साथ ले जाकर थाने में मुकदमा लिखा दिया था। दरोगा जी ने घटना के संबंध में मेरा कोई बयान नहीं लिया था। साक्षी को इस स्तर पर पक्षद्रोही घोषित किया गया।"

18. उक्त साक्षी द्वारा अभियोजन की ओर से जिरह करने पर कथन किया गया कि, "मेरी लड़की विभा वर्ष 1998 में पैदा हुयी थी। मेरे ससुर राम आसरे उपाध्याय से अभियुक्त अंकित यादव की कुछ कहा-सुनी हुयी थी। जिसके कारण उन्होंने मेरी पुत्री विभा के साथ थाने जाकर यह मुकदमा लिखवा दिया था। मैं दिनांक 01.02.2017 को घर पर मौजूद नहीं थी। मुझे घटना के बारे में कोई जानकारी नहीं है। मेरी लड़की तथा मेरे ससुर ने मुझसे घटना के बारे में कुछ नहीं बताया था। दरोगा जी मेरा कोई बयान नहीं लिये थे। साक्षी को उसका बयान अन्तर्गत धारा-161 दं०प्र०सं० को पढ़कर सुनाया गया, जिसे उसने इन्कार किया और कहा कि मैंने दरोगा जी को ऐसा कोई बयान नहीं दिया था। उन्होंने यह बयान कैसे लिख लिया, मैं नहीं बता सकती। यह कहना सही है कि मैं घटना वाले दिन घर पर मौजूद नहीं थी। यह कहना गलत है कि मैं अभियुक्त के प्रभाव में आकर आज न्यायालय में सही बात नहीं बता रही हूँ।"

19. इस प्रकार, साक्षी पी०डब्लू० 1 विभा उपाध्याय, जो कि प्रकरण की वादिनी मुकदमा/पीड़िता है। उक्त साक्षी ने बचाव पक्ष की ओर से जिरह करने पर अभियोजन कथानक का खण्डन करते हुए अभियोजन कथानक को युक्ति-युक्त संदेह से परे साबित नहीं किया है।

20. इस प्रकार, अभियोजन द्वारा परीक्षित कराये गये साक्षीगण में से स्वयं वादिनी मुकदमा/पीड़िता विभा उपाध्याय द्वारा बचाव पक्ष की ओर से जिरह करने पर परस्पर विरोधाभाषी कथन किये गये है। साक्षी ने अपनी जिरह में स्पष्ट तौर पर यह कहा गया है कि, "हाजिर अदालत अभियुक्त अंकित यादव को देखकर गवाह ने कहा कि इस व्यक्ति ने मेरे साथ कोई घटना कारित नहीं किया था। लोगों के बताने में आकर मैंने जो नाम बताया था, वह यह व्यक्ति नहीं है।" इस प्रकार, साक्षी के साक्ष्य से अभियोजन कथानक का समर्थन नहीं होता है।

21. जहाँ तक अभियोजन प्रपत्रों की औपचारिक सत्यता को स्वीकार

करने का प्रश्न है। यद्यपि अभियोजन प्रपत्रों की सत्यता को स्वीकार कर लिया गया है और वे साक्ष्य में भी ग्राहय हैं किन्तु जब स्वयं वादिनी मुकदमा/पीड़िता ने ही अभियोजन कथानक का समर्थन नहीं किया है तो मात्र अभियोजन प्रपत्रों के आधार पर अभियोजन कथानक को साबित नहीं माना जा सकता है।

22. अतः मामले के समस्त तथ्य एवं परिस्थितियों तथा साक्ष्यों को दृष्टिगत रखते हुए न्यायालय का यह अभिमत है कि अभियोजन अभियुक्त पर लगाये गये अपराध के आरोप को युक्तियुक्त संदेह से परे साबित करने में असफल रहा है। अतः अभियुक्त अंकित यादव संदेह का लाभ पाते हुए आरोप अन्तर्गत धारा-354 भा०द०सं० के अन्तर्गत दोषमुक्त किये जाने योग्य हैं।

<u>आदेश</u>

अभियुक्त अंकित यादव को अन्तर्गत धारा-354 भा०दं०सं० के आरोप से दोषमुक्त किया जाता है। अभियुक्त पूर्व से जमानत पर है। अतः उसके बंधपत्र निरस्त किये जाते हैं तथा उसके प्रतिभूगणों को उनके दायित्वों से उन्मोचित किया जाता है।

अभियुक्त धारा-437ए. दं०प्र०सं० के तहत मु० 20,000/- रूपये (बीस हजार रूपये) का व्यक्तिगत बंधपत्र व इसी धनराशि की एक प्रतिभू दाखिल करना सुनिश्चित करें।

दिनांकः-07.11.2023

(प्रियंका सिंह)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
अम्बेडकरनगर।
जे०ओ० कोड यू०पी० 2082

आज यह निर्णय मेरे द्वारा खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित व दिनांकित करके सुनाया गया।

दिनांकः-07.11.2023

(प्रियंका सिंह)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
अम्बेडकरनगर।
जे०ओ० कोड यू०पी० 2082